फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : कमला डांगी वगैरह | **विपक्षी : राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा**

किस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 140/2024**
जीसीएमएस : 2024/520

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1959 के रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा (1.6592 हैक्ट) प्रथा पिता दूदा डांगी (मूल पुरूष) के नाम दर्ज थी। साबिक नक्शा में तरमीम नहीं थी। भू माप से साबिक नम्बर 1959 से नवीन आराजी नम्बर 2460 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा बने। जिसका मैट्रिक प्रणाली अनुसार रकबा 1.6592 हैक्टेयर बना। भू प्रबन्ध में राजस्व नक्शा में आराजी नम्बर 2460 की आकृति छोटी बना दी। नक्शा लट्ठा अनुसार आराजी नम्बर 2460 का रकबा लगभग 0.1800 हैक्टेयर ही है जबकि जमाबन्दी अनुसार रकबा 1.6592 हैक्टेयर है। राजस्व नक्शा में पास के खसरा नम्बर 2467 का जमाबन्दी में रकबा 1.2383 हैक्टेयर है। जबकि नक्शे में दर्शित आकृति अनुसार रकबा 2.6600 हैक्टेयर है। अर्थात् रेकॉर्ड के मुकाबले नक्शे का रकबा 1.4217 हैक्टेयर अधिक है। मूल नक्शा में आराजी नम्बर 2462 के उत्तर दिशा में आराजी नम्बर 2461 अंकित है जबकि सेग्रीगेशन (ऑनलाईन) नक्शा में 2462 के उत्तर दिशा के खेत में खसरा नम्बर ही अंकित नहीं है। जहां आराजी नम्बर 2461 अंकित होना चाहिए। जिसे अन्य स्थान पर अंकित कर दिया गया है। राजस्व नक्शा शीट में अंकित खसरा नम्बरों, जमाबन्दी में उनके रकबे तथा मोके पर कब्जे अनुसार तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा सलंग्न है। नक्शे में उक्तानुसार तरमीम शुद्धि से राजस्व रेकार्ड में किसी भी खातेदार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है। अंत में निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का सांगवा, सलंग्न कर निवेदन है कि उक्तानुसार तरमीम शुद्धि का राजस्व नक्शा सही किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 308 पर दर्ज आराजी नम्बर 2460 रकबा 1.6592 हैक्टयर दर्ज है जबकि राजस्व नक्शे में उक्त आराजी की नपति करने पर उक्त भूमि का रकबा 0.1800 हैक्टेयर है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 2467 रकबा 1.2383 है तथा इस आराजी का राजस्व नक्शे में नपति करने पर रकबा 2.6600 हैक्टेयर है। साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 2461 को सेग्रीगेशन के दौरान अन्य जगह प्रतिस्थापित कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी भी आराजी का रकबा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में एवं राजस्व नक्शे में भिन्न – भिन्न नही हो सकता है। इस प्रकरण में आराजी नम्बर 2460 एवं 2467 का रकबा जमाबंदी एवं नक्शे में भिन्न भिन्न है। आराजी नम्बर 2460 का रकबा नक्शे में कम दर्ज है जबकि आराजी नम्बर 2467 का रकबा नक्शे में अधिक दर्ज है। जबकि नक्शे में अंकित आकृति का रकबा जमाबंदी अनुसार होना चाहिए था। आराजी नम्बर 2461 को सेग्रीगेशन के दौरान लट्ठा नक्शा अनुसार अंकित नही कर राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपनी मनमर्जी से अन्यत्र स्थापित कर दिया गया, जबकि राजस्व कर्मचारियो को ऐसा करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

कोई अधिकार नही था। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त दोनो आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार नक्शे में नही है। तहसीलदार घासा द्वारा मौके एवं जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया हैं। ऐसे में राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा के आराजी नम्बर 2460 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2467 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2461 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested